छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 531/2009

1. डॉ0 आशुतोष पाण्डे, – अपीलार्थी
अस्पताल वार्ड, कोण्डागांव,
जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय कार्यापालन अभियंता,
जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव,
जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 16 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डॉ0 आशुतोष पाण्डे द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के समक्ष दिनांक 29.12.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन उनके द्वारा दिनांक 02.01.2009 को कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग की ओर हस्तांतरित किया गया। अपीलार्थी को उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.01.2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2009 को आदेश पारित कर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उसके बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 03.06.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी अनुपस्थित थे, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर प्रति अपीलार्थी की सुनवाई की गई। प्रकरण में विलंब के लिए अनुविभागीय अधिकारी/प्रभारी कार्यपालन अभियंता, कोण्डागांव को विलंब के लिए पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर तो प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु दिनांक 02.009.2009 को अपीलार्थी को जानकारी भेजी जाकर प्रतिलिपि आयोग को भेजी गई है। चूंकि अपीलार्थी अंतिम सुनवाई दिनांक को उपस्थित नहीं थे, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर यह मान्य किया जाता है कि वे प्राप्त जानकारी से संतुष्ट है और वे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। फिर भी चूंकि जन सूचना अधिकारी द्वारा विलंब किया गया है और विलंब के लिए कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया है और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी काफी विलंब से दी गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी/प्रभारी कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोण्डागांव को प्रकरण में विलंब के लिए दोषी पाया जाता है, किन्तु फिर भी चूंकि अब जानकारी दे दी गई है, अतः थोड़ा उदार रूख अपनाया जाकर उन पर राशि दो हजार रूपये की शास्ति अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत आरोपित की जाती है। साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 300/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com